न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 28 / 2023

प्रार्थीगण:–

1. सवाराम पुत्र श्री रूगाराम
2. उकली पत्नी सवाराम जाति मेघवाल निवासी रामसीन तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. हरीराम पुत्र बुद्वाराम
2. सुखराज पुत्र उदाराम
3. तुलछाराम पुत्र बींजाराम
4. सालगराम पुत्र बींजाराम सभी जातियान मेघवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
5. पारसमल पुत्र बाबूलाल
6. मीरादेवी पत्नी बाबूलाल
7. हुकमीचंद पुत्र बाबूलाल जाति पालीवाल निवासी रामसीन तहसील रामसीन , तह0 पचपदरा,जिला बाडमेर।
8. पोनीदेवी पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी रामसीन तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।
9. भगवान श्री चारभुजा मंदिर व्यवस्थापक समला पालीवाल ब्राहम्ण रामसीन तहसील पचपदरा ।
10. नगर परिषद बालोतरा जरिये आयुक्त
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू0रा0 अधि0 बाब[illegible] व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री तख्तसिंह नामा, प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विप्रार्थीगण :– एकतरफा

लगातार 2

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

'आदेश' दिनांक :— 17.04.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1166/451 रकबा 3.5789 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल में अवस्थित है। उक्त खसरा की भूमि पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मौजा रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1166/451 रकबा 3.5789 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 2,5 ता 11 को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया गया बावजूद सूचना एव सुनवाई का समुचित अवसर देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थी संख्या 3,4 व 10 जरिये वकालतन उपस्थित जिन्हें जबाब व बहस द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नही हुए । इस प्रकार विप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:44 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने [illegible] तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि [illegible] रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1166/451 रकबा 3.5789 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल की भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 10 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1166/451 रकबा 3.5789 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया गया तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1166/451 रकबा 3.5789 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस व खसरा संख्या 1166 /451 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि [illegible] नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:44 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी संख्या 1 ता 2,5 ता 11 को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया गया बावजूद सूचना एव सुनवाई का समुचित अवसर देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थी संख्या 3, 4 व 10 जरिये वकालतन उपस्थित को जबाब व बहस द्वारा अपने पक्ष रखने हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नहीं किया ना ही कोई उज्र एतराज पेश किया गया व ना हाजिर होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के सम्बन्ध मे इनकी ओर से मौन सहमती प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन, पटवार क्षेत्र रामसीन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1166/451 रकबा 3.5789 हैक्टेयर किस्म बा. अव्वल भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 17.04.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:44 IST
Reason: SelfAttested